न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/15/18

गोरेलाल पुत्र रामस्वरुप जाति जाटव निवासी हाडौली, पुलिस थाना उच्चैन, तहसील रुपवास उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत मुढेरा तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये प्रवर्तन अध्किारी भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी (प्रथम) भरतपुर दिनांक 29–12–2017 प्रकरण संख्या 39/2016 उनवा़नी राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बनाम गोरेलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत मुढेरा तहसील रुपवास।

उपस्थितः–

1–श्री पूरनसिंह कर्दम अभिभाषक अपीलान्ट,

2– श्री संजीव शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक रसद पेरोकार

निर्णय

दिनांक 23.5.2022

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 29–12–2017 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश मे अपीलान्टं गोरेलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत मुढेरा, तहसील रुपवास का प्राधिकार पत्र संख्या को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि 1000/– रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्षकारान को सुना गया तथा उभय पक्षकारान की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में जाहिर किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नही था। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.2.2018 को हुई। जानकारी होने के बाद अपीलान्ट ने वकील से मिलकर अपीलाधीन आदेश की नकल वगे. लेकर अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि देरी को माफ

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र पेश किया है, अपील उनका कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 जिला रसद अधिकारी प्रथम भरतपुर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जिला रसद अधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जबकि अपीलान्ट दुकान का प्राधिकार पत्र जिला कलैक्टर भरतपुर के द्वारा स्वीकृति किया गया और जिला कलैक्टर महोदय भरतपुर को ही उक्त आदेश निरस्त करने का अधिकार था। प्रार्थी अपीलान्ट ने अपना जबाब को पूर्व में ही दिनांक 5.5.2014 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया था और जो कि अपील संख्या 17/2014 जिला कलेक्टर भरतपुर की पत्रावली में भी रिकार्ड पर लिया गया था, उक्त अपीलार्थी के जबाब को रिकार्ड पर शामिल नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को रिकार्ड पर लिया है और ही अपीलार्थी के गवाहान को तलब किया गया है। शपथ पत्रों पर या जवाब के तथ्यों का जिला रसद अधिकारी द्वारा नहीं मानने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है। जबकि प्रार्थी के जबाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अन्य किसी स्वतंन्त्र व्यक्ति से जांच कराने के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिये था। जिला रसद अधिकारी ने आदेश पारित करने से पूर्व बचाव का कोई अवसर नहीं दिया है और न ही प्रवर्तन निरीक्षक एवं गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने अपने जबाब में यह भी स्पष्ट किया था कि माह अक्टूवर, नवम्बर 2013 में रसद सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी, अपीलार्थी पर गलत आरोप लगाया गया है जबकि उक्त सम्बन्ध में सामग्री नहीं मिलने के लिये प्रार्थी की ओर से कई शिकायतें की गई थी। अधीनस्थ विचारण जिला रसद अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ प्रवर्तन निरीक्षक अर्पित अग्रवाल एवं तत्कालीन वितरण डीलर कुम्हेर महिला बहुउद्धेशीय समिति की मिली जुली साजिश का विवरण अपने जबाब में प्रस्तुत करने के कारण जिला रसद अधिकारी भरतपु के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं शपथ पत्रों का कही भी पत्रावली पर रिकार्ड पर नहीं लिया है क्यों कि उन तथ्यों पर विचारण करते समय अर्पित अग्रवाल एवं उनके रिश्तेदार डीलर कुम्हेर महिला बहुउद्धेशीय के संचालक अपने पदीय कर्तत्यों के विपरीत कार्य प्रकट होता तथा षडयंत्र प्रकट होता। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पेरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर अपीलान्ट डीलर की दुकान की जांच दिनांक 8.3.2014 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। उक्त जांच में अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 का क्रमश' 108, एवं 108 कुल 216 क्वि. गेहूं का वितरण न कर गबन किया जाना पाया गया एवं इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपभोक्ताओं के बयान लिये गये एवं बाद जांच खाली 24 राशकार्ड भी जप्त किये गये। वक्त जांच डीलर मोके पर उपस्थित नहीं था एवं बाद में प्रस्तुत किये गये स्टॉक एवं वितरण रजिस्टरों के आधार पर भी 18.50 क्वि गेहूँ की हेराफेरी करना रिकॉर्ड में पाया गया। जिला रसद कार्यालय में सुनवाई के

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

दौरान डीलर द्वारा कोई जबाव अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये एवं इस गबन प्रथम सूचना रिपोर्ट 61/2014 पुलिस में दर्ज कराई गई। उक्त निरस्ती के आदेश के विरुद्ध गोरे लाल उचित मूल्य दुकानदार द्वारा श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई एवं उक्त अपील संख्या 17/14 में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 28.3.2016 को जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 9.6.2014 को अपास्त करते हुये प्रकरण में डीलर को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देतु हुए पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रति प्रेषित की गई। पैरोकार सरकार का कथन है कि श्रीमान न्यायालय के आदेश की पालना में डीलर अपीलान्ट की राशन सामग्री आपूर्ति बहाल कर दी गई । अपीलान्ट को नोटिस जारी कर पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई के दौराने डीलर अपीलान्ट को 18 बार साक्ष्य एवं जबाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जिसमें 8 बार डीलर स्वयं उपस्थित हुआ, परन्तु जबाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया अपितु दिनांक 3.5.2016, 8.2.2017 एवं 15–3–2017 को डीलर द्वारा बार बार जबाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा गया, परन्तु डीलर द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया गया । डीलर की अनुपस्थित के चलेते साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु बार बार अवसर दिये जाने पर भी जबाब न देने पर 20 माह व्यतीत होने पर प्राधिकार पत्र को दिनांक 29.12.2017 को पुनः निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट का ये कथन कि दिनांक 5.5.2014 को जबाब तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया झूठा मनगढ़त है। अपीलान्ट को जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने को अनेकानेक अवसर दिये गये थे तब भी वह जबाब एवं साक्ष्य की तथाकथित प्रतियॉ को पेश कर सकता था परन्तु अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किये गये। अपील तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गोर किया। म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 में जानकारी दिनांक 28.2.2018 को होने का कारण अंकित किया है। अपीलान्ट प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पो द्वारा न तो प्रार्थना पत्र धारा 5 का जबाब पेश किया है और ना ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना अपील अन्दर म्याद मानते हुये अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

पत्रावली तहत के अवलोकन किया। अपीलान्ट के खिलाफ निम्न आरोप लगाये गये हैं। :–

1–उचित मूल्य दुकानदार द्वारा खाद्य सुरक्षा का माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 का फर्जी वितरण रिकार्ड तैयार कर क्रमशः 108 क्विंटल व 108 क्विंटल कुल 216 क्विंटल गेंहूँ का गबन किया गया। इसकी पुष्टि में 24 रिक्त राशन कार्ड जप्त किये गये तथा उपभोक्ताओं के बयान लिये गये।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

2–डीलर द्वारा माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 में बीपीएल गेहूँ के स्टॉक रजिस्टर में हेराफेरी व फर्जी वितरण बताकर 18.50 क्विटल गेहू का गबन किया है।

3–डीलर द्वारा जांच हेतु यूनिट रजिस्टर, मासिक रिटर्न आदि प्रस्तुत नहीं कर जांच में असहयोग किया।

4– डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान पर मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया।

अपीलान्ट अभिभाषक का यह तर्क कि उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नही दिया गया स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि तहत न्यायालय की पत्रावली में आर्डरसीट दिनांक 30.5.2016 से (आठ तारीख पेशीयों) दिनांक 26.4.2017 तक पर अपीलान्ट डीलर के उपस्थित आने के हस्ताक्षर किये हुये हैं। उक्त तारीख पेशीयों पर अपीलान्ट डीलर को जबाब एवं साक्ष्य को समय चाहे जाने समय दिये जाने का उल्लेख आर्डरसीट पर किया हुआ है इन आर्डरसीट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हो रहे हैं। अपीलान्ट का यह कथन कि उसने अपना जबाब एवं उपभोक्ताओं के शपथ पत्रों दिनांक 5.5.2014 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे रिकार्ड पर नहीं लिया गया। पैरोकार सरकार ने इस कथन को मनगढ़त बताते हुये अपीलान्ट की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया है।

अपीलान्ट पर मुख्य गंभीर आरोप है कि:–

अपीलान्ट ने खाद्य सुरक्षा का माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 का फर्जी वितरण रिकार्ड तैयार कर क्रमशः 108 क्विंटल व 108 क्विंटल कुल 216 क्विंटल गेंहूँ एवं माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 में बीपीएल गेहूँ के स्टॉक रजिस्टर में हेराफेरी व फर्जी वितरण बताकर 18.50 क्विटल गेहू का गबन किया है।

इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस की मद न. 10 में अंकित किया है कि माह अक्टूबर, नवम्बर 2013 में रसद सामग्री प्राप्त नही हुयी थी। अपीलान्ट द्वारा सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नही किया गया है, जिससे उसके मौखिक कथनों को सही माना जा सके।

पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी रसद ने अपनी लिखित बहस में भी अपीलान्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं वीपीएल का माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 गेंहू प्राप्त किये जाने का उल्लेख नहीं किया है और नाहीं ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलान्ट डीलर द्वारा माह अक्टूबर व नवम्बर 2013 का गेहूँ प्राप्त किया हो। जिला रसद अधिकारी भरतपुर के अपीलाधीन आदेश में भी इस तथ्य को किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होना साबित नहीं किया है केवल प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक के मौखिक कथनों के आधार पर अपीलान्ट को आरोपित

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

किया गया है। तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रतियॉ कुम्हेर महिला बहुउद्धेशीय सहकारी समिति लि0 द्वारा जारी माह 1.10.2013 से 13.3.2014 तक जारी कमशः अन्त्योदय,बीपीएल एवं एनएफएसऐ गेंहू आबंटन सम्बन्धी कागजात में अपीलान्ट डीलर को गेहू सामग्री का आंबटन दर्शाया गया है परन्तु उक्त कागजात से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या डीलर द्वारा उक्त गेहूं की राशि जमा कराई जाकर उक्त माह की सामग्री गेहूँ का उठाव किया गया हो? इस बात का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में भी नहीं किया गया है और नाहीं जिला रसद अधिकारी ने इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेजी पत्रावली पर लिया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन एवं कार्यवाही से यह निर्विवाद है कि केवल डीलर द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण तहत न्यायालय ने आरोपों को सिद्व माना है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्व हो जावें। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तो का किस रुप में उल्लंघन किया गया है, परीक्षण न्यायालय को साक्ष्य एवं सबूतों का परीक्षण कर स्पष्ट किया जाना चाहिये था ना कि अपने कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक की इकतरफा रिपोट के आधार पर। प्रवर्तन निरीक्षक रिपोर्ट की सत्यता की जांच तहत न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया के तहत साक्ष्य सबूत वगै0 लेकर अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुये निर्णय विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलाधीन आदेश नोन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रकरण में पुनः परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं। अपीलान्ट अपना जबाब एवं साक्ष्य तहत न्यायालय में पेश कर सकते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचननुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का निर्णय दिनांक 29.12.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को उपरोक्त निर्देशों की पालना करते हुये तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिसम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23–5–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर ,भरतपुर